

इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उ०प्र०
Allahabad State University, Allahabad, U.P.

संदर्भ सं.: इ.रा.वि.वि./कु०संका०/271/2017

दिनांक: 12-1-17

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश शासन उच्च शिक्षा अनुभाग-6 के शासनादेश संख्या-722/ सत्तर-2 -2 -2016-16(116)/ 2015, टी.सी-2, दिनांक 22 दिसम्बर 2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/ संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने आदि के सम्बन्ध में द्वितीय प्रस्तर के बिन्दु-छ: के अनुसार "किसी नये पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने के प्रस्ताव पर भूमि से सम्बन्धित अभिलेख क आवश्यकता नहीं होगी। नये पाठ्यक्रम के प्रस्ताव के साथ आवेदक को महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ इस आशय का शपथ-पत्र सलंग्न करना होगा कि महाविद्यालय प्रारम्भ करते समय उपलब्ध भूमि वर्तमान में भी उपलब्ध है और उसी भूमि पर नया पाठ्यक्रम संचालित किया जायेगा"

उपर्युक्त के क्रम में जो महाविद्यालय पूर्व से संचालित है एवं नये पाठ्यक्रम के संचालन हेतु पत्रावली विश्वविद्यालय में जमा कर चुके हैं वे सलंग्न प्रारूप के अनुसार 100 रुपये फोटो युक्त शपथ पत्र पर दिनांक 25 जनवरी 2017 तक इ.रा.वि.वि. कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

(संजय कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपि:

- 01 कुलपति महोदय को उनके आदेश के क्रम में अवलोकनार्थ
- ✓ 02 उपकुलसचिव को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
- 03 सम्बन्धित पत्रावली


कुलसचिव

MR IP
Upload it on
website
Dil
12/1/17
DR